

कैसे 'अदृश्य पैसे' पर रोक लगाए

साभार : द हिन्दू
03 अगस्त, 2017

जगदीप एस. छोकर (पूर्व प्रोफेसर, डीन, और इंडियन इंस्टिट्यूट
ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के प्रभारी निदेशक थे)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनाव और कानून आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों को एक मौका दिया जाना चाहिए।

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग 'अदृश्य पैसे' को रोकने में असफल रहा है लेकिन उनके इस बयान के साथ कई तथ्यात्मक समस्याएं मौजूद हैं। चुनाव आयोग (ईसी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम), 1951, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णय के अनुसार काम करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों को तैयार करने की शक्ति चुनाव आयोग को किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं दी है, जो मौजूदा एक मुद्दा भी है।

कार्रवाई और प्रतिक्रिया

- देखा जाये तो चुनाव आयोग द्वारा ज्यादातर सुधार प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं की गई है। उसने 2004 में 22 प्रस्तावों को भेजा था। साथ ही दिसंबर 2016 में, "चुनाव खर्च और चुनाव याचिकाओं", "चुनाव अभियान और विज्ञापन" और "राजनीतिक दलों से संबंधित सुधारों" के लिए 47 प्रस्ताव भेजे गए। लेकिन सरकार ने इसे जरूरी नहीं समझते हुए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
- ऐसी कई तथ्य मौजूद हैं जहाँ चुनाव आयोग ने बार बार एक ही सुधार की सिफारिश की, लेकिन सरकार द्वारा उन सिफारिशों को बार-बार अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जहाँ एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा इसमें सुधार करने की कोशिश किया, तो दूसरी तरफ सरकार और संसद ने फैसले के कार्यान्वयन को रोकने के लिए कानून में संशोधन करने का प्रयास किया।
 1. अब इस चुनाव संबंधित मुद्दे पर वित्त मंत्री की राय जानते हैं। बजट को प्रस्तुत करने के दौरान वित्त मंत्री ने बताया था कि किस हद तक ये बांड 'अदृश्य पैसे' को सामने ला सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान इन्होंने कहा था कि "ये बांड दानदाताओं की पहचान या नाम को गुप्त रखेगा।" चूंकि बजट भाषण में चुनावी बांड का शीर्षक "चुनाव अनुदान में पारदर्शिता" थी, इसलिए इसके बाद कुछ टिप्पणीकारों ने पूछा कि क्या 'पारदर्शिता' और 'गुमनामी' एक समान हैं।
 2. बजट में किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव कुछ इस प्रकार हैं (क) मुनाफे पर 7.5% की सीमा को हटाना जिसे कोई कंपनी एक राजनीतिक दल को दान कर सकती है और (ख) इस आवश्यकता को हटाना की अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को दान करती है तो उसे पार्टी का नाम और दान की गई राशि का खुलासा करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये दो प्रस्ताव पारदर्शिता को बढ़ाएंगे या इसे और कम करेंगे।
 3. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि "मैंने संसद में राजनीतिक दलों को लिखित और मौखिक दोनों रूप से कहा कि मुझे इस सन्दर्भ में कोई बेहतर सुझाव दे, लेकिन कोई भी आज तक आगे नहीं आया है क्योंकि लोग मौजूदा व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं।" इसके अलावा, इन राजनीतिक दलों को चुनावी बांड प्रणाली पर कोई आपत्ति इसलिए नहीं होगी क्योंकि इससे उन्हें शगुमनामी के साथ पैसे जुटाने की अनुमति मिलती है। वैसे देखा जाये तो यह सवालमंत्रियों को अपनी पार्टियों को पूछना चाहिए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि किस मंत्री को कौन सा प्रश्न पूछना है? तार्किक रूप से देखे तो यह चुनाव आयोग और भारतीय कानून आयोग है, जिन्होंने दोनों ही बार अपने मस्तिष्क को इस मुद्दे पर लागू किया है।
- कानून आयोग ने 1998-99 में इस मुद्दे का अध्ययन किया और अपनी 170 वीं रिपोर्ट में शिवापक सुधार का प्रस्ताव शीर्षक में इसके व्यापक मूल्यांकन और प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उपर्युक्त तर्क की समानता पर, यह कहा जा सकता है कि यदि लोकतंत्र और जवाबदेही हमारे संवैधानिक प्रणाली के मूल का गठन करते हैं, तो उसी अवधारणाओं को भी लागू करना चाहिए और उन राजनीतिक दलों को बाध्य करना चाहिए जो इसके अभिन्न हैं। यह राजनीतिक दल ही है जो सरकार बनाती है, संसद में मौजूद रहती है और देश के शासन को चलाता है। इसलिए, राजनीतिक दलों के काम में आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही का मौजूद होना अतिआवश्यक है।

समाधान-

- "राजनीतिक दलों के कामकाज में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही" लाने का एक तार्किक और आसान तरीका जो कानून आयोग द्वारा अनुशंसित भी है, उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत लाना है।
- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जून 2013 में एक पूर्ण बेंच फैसले में कहा था कि छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल वास्तव में आरटीआई कानून की धारा 2 (एच) शसार्वजनिक प्राधिकरण के तहत शामिल हैं, जो उन्हें 'सार्वजनिक प्राधिकरण' बनाता है।
- जून 2013 के निर्णय के बावजूद, सत्तारूढ़ दल सहित इन दलों ने आरटीआई आवेदनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कानून लागू करने के लिए उच्चतम संवैधानिक प्राधिकारी की पूर्ण पीठ का सर्वसम्मति से निर्णय खारिज कर दिया गया।

इससे संबंधित तथ्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अन्तर्गत, भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्यों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोजित करने के संचालन, निदेशन और नियन्त्रण की शक्ति निहित है। विस्तृत उपबन्ध राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किए गए हैं।

संसद में पेश जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के मुख्य प्रावधान-

1. निर्वाचित होने के दो साल के अंदर संबंधित संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के 75 फीसद मतदाताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों को हटाने का अनुमोदन किया जाता है, तब उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है।
 2. जनप्रतिनिधित्व के संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के एक चौथाई मतदाताओं को हस्ताक्षर के साथ सदन के अध्यक्ष को आपसी संबंधी आवेदन देना होगा। इस आवेदन के माध्यम से अध्यक्ष इसे पुष्टि के लिए चुनाव आयोग को सौंपेंगा।
 3. आयोग मतदाताओं के हस्ताक्षर की जांच-पड़ताल करेगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के 10 स्थानों पर चुनाव कराए जाएंगे।
 4. तीन-चौथाई मतदाताओं के सांसद या विधायक को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान करने पर उनकी सदस्यता खत्म करनी होगी।
 5. चुनाव परिणाम प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर अध्यक्ष को इसे अधिसूचित करना होगा।
 6. इसके बाद रिक्त घोषित सीट के लिए आयोग उपचुनाव कराएगा। इसके अलावा इस निजी विधेयक में प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित उपाय भी किए गए हैं। जनता को इतना अधिकार होना चाहिए कि यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास नहीं रहा, तो उन्हें वापस बुला लिया जाए।
 7. वर्तमान में जनता के पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रति असंवेदनशील हैं या जनता उससे नाखुश है तो उसे हटा लिया जाए।
- इन प्रावधानों में राजनीति में अपराधियों को रोकने से लेकर जन प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और उनसे नाखुश होने की स्थिति में उन्हें वापस बुलाने का अधिकार तक शामिल हैं।
 - इन मांगों की दिशा में सकारात्मक पहल तब दिखी जब सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधियों को नकारने का अधिकार भारतीय मतदाताओं को दिया था।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम

परिचय

भारत की अंतरिम सरकार द्वारा भारतीय गणराज्य की स्थापना के क्रम में, सम्पन्न होने वाले प्रस्तावित प्रथम आम चुनाव से पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 तथा इसमें कुछ संशोधनों सहित RP Act- 1951 पारित किया गया। इसका उद्देश्य संसद एवं विधानमण्डल के स्तर पर चुनावी कार्य को सम्पन्न करने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा इसमें सम्मिलित संस्थाओं एवं प्रशासकों के कार्य, अधिकार एवं जवाबदेही को तय करना है।

- यह अधिनियम 17 जुलाई, 1951 से सम्पूर्ण भारत (जम्मू -कश्मीर को छोड़कर) पर लागू है। यह भारत के नागरिकों को मतदान के व्यवहार को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसमें कुल 11 भाग (प्रारम्भ में 13) तथा 171 धाराएं सम्मिलित है। इस अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के तहत पहला चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 में सम्पन्न हुए।

महत्वपूर्ण प्रावधान

1. धारा-2 (e) - यह निर्वाचक को परिभाषित करती है। इसके अनुसार निर्वाचक वह है जिसका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जा चुका हो।
2. धारा- 8(A) - यह भ्रष्टाचार के आधार पर निर्हरता का प्रावधान करती है। यदि कोई सदस्य उच्च न्यायालय या उसके बराबर की न्यायिक सत्ता द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, तो राष्ट्रपति अनु. 103 के तहत चुनाव आयोग की सलाह पर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। ऐसी निर्हरता किसी भी स्थिति में 6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. धारा-11- इसके तहत निम्न आधारों पर मतदान के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है।

(i) यदि व्यक्ति राज्य के विरुद्ध कार्य करे।

(ii) सेना के विरुद्ध व्यवहार करे।

(iii) राजद्रोह से सम्बन्धित कोई विषय।

लेकिन ऐसा स्थगन किसी भी स्थिति में 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. धारा-20 - यह चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान करती है। इसमें राज्य स्तर पर Chief electoral officer तथा इसके नीचे जिलों में District electoral officer होते हैं। ऐसी भूमिका जिले के DM द्वारा निभाई जाती है। Returning officer के रूप में DM का मुख्य कार्य कुशलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने से है।
5. धारा-29 (A) - इसमें राजनैतिक दलों के पंजीकरण से सम्बंधित प्रावधान है। कोई भी समूह राजनैतिक दल बनाने के लिए दल के अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्य का स्तर तथा दल की लगभग संख्या आदि का विवरण चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत कर 30 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राप्त कर सकता है।
6. धारा-29 (B) - राजनैतिक दलों को चंदा, दान कैसे प्राप्त है, इसका प्रावधान करती है। इसके तहत ऐसी धन प्राप्ति किसी व्यक्ति या कम्पनी से हो सकती है (सरकारी कम्पनी नहीं)।
7. धारा-29 (C) - इसके तहत राजनैतिक दलों को प्राप्त धन का खुलासा करना होता है। राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष व्यक्तिगत या कम्पनी (सरकारी कम्पनी शामिल नहीं) द्वारा 20,000 रु. या उससे अधिक प्राप्त होने पर चुनाव आयोग के समक्ष ITR प्रस्तुत करेगा।
8. RP Act- 1951 में मतदान का अधिकार धारा-62 द्वारा दिया जाता है।

संभावित प्रश्न

“सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में निर्वाचन संबंधी जो भी घोषणाएं हुई हैं, वह केवल गुमराह करने के लिए हैं, क्योंकि इससे न तो राजनीति साफ होगी और न ही इसमें पारदर्शिता आ सकेगी।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(200 शब्द)